

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 138/12

संस्थापन दिनांक :- 06/03/12

फाईलिंग नं. 233504000522012

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

देवदास पिता नरेश बसदेवा,
उम्र 22 वर्ष, निवासी रानीडोंगरी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (निर्णय) :-

(आज दिनांक 23.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 06.03.2012 को 08:00 बजे ग्राम रानीडोंगरी स्कूल के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे का चाकू अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 06.03.2012 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रानीडोंगरी में स्कूल के पास एक व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर आने जाने वाले रहागीरों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं साक्षीगण के मौके पर पहुंचा तथा अभियुक्त से एक लोहे का चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 99/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया

गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.03.2012 को 08:00 बजे ग्राम रानीडोंगरी स्कूल के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे का चाकू अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 बिसन सिंह (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 06.03.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ ग्राम रानीडोंगरी स्कूल के पास पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे का चाकू लिए मिला। जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का चाकू जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 99/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए1 को वही आयुध होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अंकुर एवं लालमन के अदम पता होने से उनकी साक्ष्य अंकित नहीं की गयी है। अभिलेख पर बिसन सिंह (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई. आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की साक्ष्य के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

7 बिसनसिंह (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर जाना, अभियुक्त से एक लोहे का चाकू जप्त कर उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वह गवाह लालमन और अंकुर को साथ लेकर गया था। जब वह मौके पर पहुंचा था तब अभियुक्त के अलावा कोई नहीं था। अभियुक्त किसी को डरा धमका नहीं रहा था। जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की थी उसका उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया है। स्वतः कहा कि इंच टेप से नापा था। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा संलग्न नहीं किया गया है। इस सुझाव को गलत बताया है कि जप्तशुदा चाकू धारदार नहीं था।

8 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचक साक्षी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध की नापजोप किससे की गयी। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं माना जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 06.03.2012 को 08:00 बजे ग्राम रानीडोंगरी स्कूल के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे का चाकू अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त देवदास को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त न्यायालय की अभिरक्षा में है। अतः उसे रिहा किया जावे।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)